झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

धाराएँ

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2 झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 क की उपधारा (iii) के परन्तुक में संशोधन

3 झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 ग. का अंतः स्थापन ।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 में संशोधन हेतु विधेयक

भारत गणतंत्र के 66वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(i) यह अधिनियम झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 क की उपधारा (iii) के परन्तुक में संशोधन

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 क की उपधारा (iii) के परन्तुक को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है :–

परन्तु अनुज्ञप्ति शुल्क की दर ऐसी रखी जायेगी, जो एक हजार रूपये वार्षिक से अनधिक हो।

3. झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 90 ग. का अन्तः स्थापन

अधिनियम की धारा 90 ख के बाद निम्नलिखित नई धारा 90 ग अन्तः स्थापित की जायेगी, जो दिनांक–16.01.2006 के प्रभाव से अन्तःस्थापित मानी जायेगी।

90 ग – बाजार शुल्क एवं अन्य बकाये के भुगतान एवं वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकार को यह शक्ति होगी कि –

(क) मांग पत्र निर्गत करना, सूचना शुल्क लगाना, विलम्ब से भुगतान के लिए यथा विर्निदिष्ट दर पर सूद का अधिरोपन, तथा उसके लिए दण्ड की रकम,

(ख) कुर्की जब्ती के लिए वारंट निर्गत करना, और बाजार शुल्क एवं अन्य बकाये की वसूली के लिए चल सम्पति की बिक्री,

(ग) बाजार शुल्क एवं अन्य बकाये की वसूली के लिए अचल सम्पति की जब्ती एवं बिक्री,

(घ) नगरपालिका क्षेत्र छोड़ने वाले व्यक्ति से देयों की वसूली,

(ड़) बकायेदार के नाम, बैंक खाता तथा अन्य वित्तीय प्रपत्र (इन्सट्रूमेन्ट), चाहे एकल या संयुक्त रूप से धारित हो, जब्त करने और वसूल करने हेतु वारंट निर्गत करना,

(च) बाजार शुल्क एवं अन्य बकाये की वसूली के लिए वारंट निर्गत करना,

(छ) जहाँ निर्धारित विहित समय के भीतर विवरणी दाखिल नहीं करता है, तो भुगतेय बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति उदग्रहण करना।

4. **झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 2000 की धारा 128 की उपधारा (3) का अन्तःस्थापन**

उक्त अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (3) अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा–

(3) नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–2/न0वि0/यो0/विविध/148/2002–1849 दिनांक–12.05.2010 द्वारा अधिसूचित खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, बाजार फीस नियमावली, 2010, दिनांक–16.01.2006 से प्रभावी होगी।

यह विधेयक झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक 2015 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को झारखण्ड विधान–सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची 72(एल०ए०)--50--6-1-2016 ।